

राजस्थान विधान सभा
अष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

आबकारी विभाग

I- श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(8)वित्त/आबकारी/2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्स रूल्स, 1985 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.11(3)वित्त/आबकारी/2011 दिनांक 29 नवम्बर, 2011, जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.11(32)वित्त/आबकारी/2005 दिनांक10.7.2007 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(19)वित्त/आबकारी/04 दिनांक 21.12.2011, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के कतिपय मदिरा भराई केन्द्रों हेतु लेबल अनुमोदन फीस को दिनांक 26 फरवरी, 2005 से मुक्ति प्रदान की गई है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2011-पार्ट-II दिनांक 9.1.2012, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में कतिपय संशोधन किये गये हैं; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2011 दिनांक 31.1.2012, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल, बार/क्लब बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ।

सहकारिता विभाग

II- श्री परसादीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या: प.12(1)सह/2011 दिनांक 30.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाईटी नियम, 2003 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

उपनिवेशन विभाग

III- श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)कोल/2010 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखड़ा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(4)कोल/98 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(2)कोल/01 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.4(3)कोल/2009 दिनांक 20.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कॉलोनी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(17)कोल/1998 दिनांक 1.11.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवास हेतु चक आबादी के लिये भूमि अनुदान) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 6- अधिसूचना संख्या:एफ.4(5)कोल/2006 दिनांक 11.11.2011, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (परियोजना क्षेत्र में ब्रिक क्लिन लीजेज) शर्तें, 1966 को निरसित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

IV- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनि-89 दिनांक 30.9.2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, विद्युत विक्रय के लिये टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनि-90 दिनांक 18 नवम्बर, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें (तृतीय संशोधन) विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं ।

पंचायतीराज विभाग

V- श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.4(6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर./10/1938 दिनांक 1.11.2011, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

- 1- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011; एवं
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011.

II- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-2010 ;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009; एवं
- 3- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल्स के नियम-114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011.

III- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ;
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 ;
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 ;

4. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 ;
5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 ;
6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011; एवं
7. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011.

IV- श्री भरत सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

V- बीना काक, पर्यावरण मंत्री जल अधिनियम 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगी।

VI – श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्य मंत्री सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा- 35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012

- अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-6)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011(2011 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(2) गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

- गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-7)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(3) महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-9)
- "राजस्थान राज्य में महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(4) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक,2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-8)
- "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(5) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक,2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-10)
- "निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

- (1) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास(वि.सं.-95), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-
"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"
- (2) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (वि.सं.-54), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 फरवरी, 2012